

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-30/2016

9787

पटना, दिनांक-31/12/19

निबंधित/  
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, दरभंगा, सारण एवं मुंगेर।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-8906, दिनांक-31.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त पत्र द्वारा वैसे गैरअधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया था, जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य हो। साथ ही भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों/अतिरिक्त मार्गों की सूची भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अधिसूचना हेतु भेजे गये मार्गों की सूची में मार्ग की दूरी अंकित किया जाना आवश्यक है।

उक्त मार्गों(दूरी सहित) की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(सीडी0 सहित) में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि अधिसूचना हेतु मार्गों(दूरी सहित) की सूची पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। यह सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(एक्सल फाईल) दोनों में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,

  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-30/2016

पटना, दिनांक-

निबधित/  
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, दरभंगा, सारण एवं मुंगेर।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-8906, दिनांक-31.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त पत्र द्वारा वैसे गैरअधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया था, जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य हो। साथ ही भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों/अतिरिक्त मार्गों की सूची भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अधिसूचना हेतु भेजे गये मार्गों की सूची में मार्ग की दूरी अंकित किया जाना आवश्यक है।

उक्त मार्गों(दूरी सहित) की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(सीडी सहित) में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त प्रतिवेदन अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि अधिसूचना हेतु मार्गों(दूरी सहित) की सूची पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। यह सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी(एक्सल फाईल) दोनों में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31/12/19

ज्ञापांक-

9787

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।